न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 81 / 2023

उनवान

1. पोखर पुत्र केला रेगर निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय जरिए उनके वारिसान–
   1/1 जगदीश पुत्र स्व0 पोखर रेगर
   1/2 हीरालाल पुत्र स्व0 पोखर रेगर
   1/3 तोली देवी पुत्री स्व0 पोखर रेगर,
   1/4 मु0 टम्मूदेवी पत्नी स्व0 पोखर रेगर, सर्वनिवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. कालू पुत्र खिन्दा रेगर, निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय उसके वारिसान–
   1/1 लादू लाल पुत्र कालू रेगर
   1/2 मदन लाल पुत्र कालू रेगर
   1/3 धापू देवी पत्नी कालू रेगर
   1/4 शान्ता पुत्री कालू रेगर
   1/5 रेखा पुत्री कालू रेगर सर्व निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य, जरिए तहसीलदार, रायपुर, जिला भीलवाड़ा।

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
के प्रकरण संख्या 64/2014 निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.02.2019

अभिभाषक :

1. श्री एस0एन0 सोमानी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री फारूक मोहम्मद मंसूरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 18.03.2026

1. **अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया किग्राम रायपुर तहसील रायपुर के**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बैरून हल्का आबादी मै खातेदार पोखर पिता केला रेगर के खातेदारी अधिकार एंव कब्जे कास्त की साबिक आराजी संख्या 959 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 966 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भुमि स्थित थी। प्रमाण में नकल साबिक जमाबन्दी 2046 से 2049 तक प्रस्तुत है।

2. वादपत्र की कलम नम्बर में अंकित आराजियात मेसें आराजी संख्या 959 रकबा 19 बिस्वा भुमि प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयमत्र के वादी ने दिनांक 30.11.1989 को क्रय की वक्त क्रय से ही वादी आराजी संख्या 959 पर काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है। वादी की क्रय शुदा आराजी के पडोस इस प्रकार है। पर्व मे पोखर पिता भागा रेगर की जमीन, पश्चिम– गोकल पिता लखमा रेगर की जमीन, उत्तर– आसु पिता नंगा रेगर की जमीन, दक्षिण मे सोहन पिता जोधा रेगर की जमीन इन चारो पडोसो के मध्य स्थित आराजी संख्या 959 वादी ने प्रतिवादी संख्या क्रय की।

3. साबिक आराजी संख्या 959 रकबा 19 बिस्वा भुमि के विक्रय का नामान्तरण करण संख्या 1976 वादी के नाम खोला गया लेकिन उसका अमलदरामद जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 की अन्य आराजी 966 सुवालाल पिता मोहा बलाई ने क्रय की थी। करण संख्या 1934 तत्कालिन पटवार हल्का ने खोला जो गलत खोला था। वादी की खरीद शुदा आराजी का नामान्तरण सुवालाल पिता मोडा बलाई के नाम खोल दिया जो गलत है।

4. नामान्तरण करण संख्या 1976 व नामान्तरण करण संख्या 1934 दोनो गलत रूप से खोले गये थे जिनकी शुद्धि हेतु पुर्व मे न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गंगापुर मे एक वादपत्र सुवालाल पिता मोडा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसके निर्णय अनुसार साबिक आराजी संख्या 966 रकबा 1 बीघा भूमि सुवालाल के नाम पर दर्ज कर दी गई तथा साबिक आराजी संख्या 959 रकबा 19 बिस्वा भुमि वादी के नाम पर दर्ज नही कर पुन प्रतिवादी संख्या के नाम पर दर्ज कर दी। जब कि आराजी संख्या 959 वादी के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी। इस हेतु वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। तथा वादी साबिक आराजी संख्या 959 रकबा 19 बिस्वा का खातेदार कास्तकार घोषित होने का अधिकारी है।

5. भु–प्रबन्ध होने पर ग्राम रायपुर का भी भु–प्रबन्ध हुआ जिससे साबिक आराजी संख्या 959 रकबा 19 बिस्वा के नवीन नम्बर 4026 रकबा 020 है, साबिक आराजी संख्या 966 रकबा 1 बीघा के नवीन नम्बर 4016 रकबा 022 है कायम हुये। प्रमाण में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

नकल मीलान क्षेत्रफल एंव नवीन जमाबन्दी वादपत्र के साथ प्रस्तुत है।

6. नवीन आराजी संख्या 4026 रकबा .020 है भूमि वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हो गई थी क्यौकि नामान्तरण करण संख्या 2434 गलत खोला था। प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम पर भुमि दर्ज होने का नाजायज रूप से फायदा उगाना चाहता है। तथा वादी को जबरण उसके कब्जे कास्त की भमि पर कब्जा करने की धमकी दे रहा हैं तथा आराजी संख्या 4026 को हस्तान्तरित विक्रय करने पर आमादा हो रहा है। जिसे रोका जाना आवश्यक है। इस हेतु वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 05.07.2014 को ऐलानिया धमकी दी तथा जबरण आराजी संख्या 4026 में प्रविष्ट हो हांकने की धमकिया दी जिससे विवश होकर वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड़ा है।

7. अतः प्रार्थना है। कि 1. घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या । इस आशय की जारी फरमाई जावे की ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर के खाता संख्या मै अंकित नवीन आराजी संख्या 4026 रकबा 0.20 है। भुमि का वादी को खातेदार कास्तकार घोषित कराया जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद कराया जावे। 2. कि स्थाई निषैधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे की नवीन आराजी संख्या 4026 रकबा 0.20 है. भुमि मै प्रतिवादी संख्या 1 नाजायज दखलनदाजी न तो स्वंय करे न अन्य से करावे वादी को शान्ति पुर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

8. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय व डिकी द्वारा स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

9. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

10. अपीलार्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मातहत न्यायालय के उक्त निर्णय व डिकी की जानकारी हम अपीलार्थीगण को नहीं थी। दिनांक 01.02.2023 को प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त भूमि पर आए और हम अपीलार्थीगण को धमकी दी कि उक्त भूमि को हमारे नाम पर दर्ज करने का आदेश हमनें दिनांक 28.02.2019 को ही प्राप्त कर लिया और अब तुम यहा से चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें जबरन बेदखल करेंगे। इस धमकी से परेशान होकर हम अपीलार्थीगण मातहत न्यायालय रायपुर में गए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

और प्रकरण की जानकारी की और उक्त अपीलाधीन निर्णय और डिकी की प्रतिलिपि लेने हेतु उसी दिन आवेदन किया तो हमें दिनांक 07.02 2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि मिली जिससेहम अपीलार्थीगण को प्रथम बार जानकारी हुई। जिससे यह अपील अविलम्ब अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर रहे हैं तथा निर्णय व डिकी की दिनांक 28.02.2019 से जानकारी की दिनांक 07.02.2023 तक गुजरे हुए समय का मुजरा दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है इस हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है। परन्तु निर्णय व डिकी पारित किये जाने से अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि को क्षम्य करते हुए अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि दिनांक 24.09.2014 को पीठासीन अधिकारी बाहर थे और अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से प्रतिवादी पोखर को आगामी सुनवाई पेशी नहीं दी जा सकी। उसके पश्चात् भी केम्प में पत्रावली प्रस्तुत हुई तो वहां पर कोई कार्यवाही नहीं होने की कहकर प्रतिवादी को वापस भेज दिया गया और उस समय भी आगामी तारीख पेशी नहीं दी गई और दिनांक 03.02.2016 को प्रतिवादी पोखर के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश फरमा दिए गए जिससे प्रतिवादी उक्त प्रकरण में उसका पक्ष नहीं रख सका और न्याय से वंचित हो गया।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादी द्वारा उक्त प्रकरण में न तो कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किए गए और न ही वादी की ओर से कोई शहादत सबूत प्रस्तुत किए और ना ही कोई दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए। फिर मातहत न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को साक्षी सबूत के अभाव में डिकी फरमा कानून में वर्णित प्रावधानों की भारी अनदेखी की और उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। बिना साक्ष्य और बिना दस्तावेज प्रदर्शित करवाए उन दस्तावेजों को वक्त निर्णय नहीं पढ़ा जा सकता और न ही उनके आधार पर कोई निर्णय पारित किया जा सकता है। उक्त निर्णय व डिकी पारित करते समय मातहत न्यायालय ने कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई और न ही कानून के बिन्दुओं पर विचार ही किया जिससे उक्त निर्णय व डिकी गैर कानूनी होने से अपास्त होने योग्य है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादी को कोई भी भूमि प्रतिवादी पोखर ने कभी भी विकय नहीं की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज ही है और यदि वादी के पास ऐसा कोई दस्तावेज है तो वह बिलाबदल, फर्जी व कूटरचित है। वादी या प्रत्यर्थीगण को कोई कब्जा उक्त भूमि पर नहीं रहा और वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अपीलार्थीगण का ही चला आ रहा है और मातहत न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया फिर भी मातहत न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित किए हैं जो गलत है।

14. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादी ने अपने वाद पत्र में सुवालाल पुत्र मोडा बलाई के नाम पर गलत इन्तकाल खोलने से उसके द्वारा कोई वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसमें निर्णय पारित करने के पश्चात उसकी पालना में कोई नामान्तरणकरण गलत खोले गए है तो उक्त निर्णय व डिकी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी जो वादी ने नहीं की और नए सिरे से वादी ने यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जो पूर्व में सुवालाल द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में पारित निर्णय एवं डिकी के विरूद्ध होने से त्मे श्रनकपबंजं से बाधित है और पूर्व न्याय के सिद्धान्त धारा 11 जा०दी० के तहत बाधित है और ऐसा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा उक्त वाद पत्र में सुवा लाल पुत्र मोडा बलाई या उसके वारिसान को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इन कारणों से भी उक्त वाद पत्र चलने योग्य नहीं है।

15. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि दिनांक 17.06.2015 को न्यायालय में केम्प कोर्ट की तामील में वादी के मरने की रिपोर्ट आ चुकी थी किन्तु उसके बावजूद भी दिनांक 03.02.2016 यानि आठ माह बाद कायमुकामान की कार्यवाही की गई जो मियाद अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध है। पूरा वाद पत्र ही अबेट हो चुका था फिर भी मातहत न्यायालय ने यह निर्णय व डिकी पारित कर भारी कानूनी भूल की है।

16. अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत न्यायालय के उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिकी को अपास्त फरमाया जावे और वादी के वाद पत्र को खारिज फरमाया जावे।

17. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि पत्रावली की आदेशिका दिनांक 03.02.2016 मे प्रतिवादीयों को अनुपस्थित करके एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी व डिकी के बाद प्रतिवादी 1 पोखर की मृत्यु होने पर कायम मुकाम की कार्यवाही की गई थी। डिकी की पालना हो चूकी है। प्रतिवादी अनुपस्थित रहे है उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। मै विकय पत्र द्वारा खरीददार पक्षकार हू जिसका नामान्तरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जारी हुआ जिसे अमल करने से रोक दिया गया था। प्रकरण दस्तावेज के आधार पर प्रमाणित था अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नही थी व अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

18. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपीलके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मातहत न्यायालय के उक्त निर्णय व डिकी की जानकारी हम अपीलार्थीगण को नहीं थी। दिनांक 01.02.2023 को प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त भूमि पर आए और हम अपीलार्थीगण को धमकी दी कि उक्त भूमि को हमारे नाम पर दर्ज करने का आदेश हमनें दिनांक 28.02.2019 को ही प्राप्त कर लिया और अब तुम यहा से चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें जबरन बेदखल करेंगे। इस धमकी से परेशान होकर हम अपीलार्थीगण मातहत न्यायालय रायपुर में गए और प्रकरण की जानकारी की और उक्त अपीलाधीन निर्णय और डिकी की प्रतिलिपि लेने हेतु उसी दिन आवेदन किया तो हमें दिनांक 07.02 2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि मिली जिससेहम अपीलार्थीगण को प्रथम बार जानकारी हुई। जिससे यह अपील अविलम्ब अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर रहे हैं तथा निर्णय व डिकी की दिनांक 28.02.2019 से जानकारी की दिनांक 07.02.2023 तक गुजरे हुए समय का मुजरा दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है इस हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है। अतः न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

19. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड अनुसार पक्षकारों के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही की गई है। तब तक किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नही हुआ है। रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर बेचान हुआ व नामान्तरण संख्या 1976 जारी किया गया। उक्त आराजी का पूर्व मे नामान्तरण संख्या 1934 दर्ज हो गया था जबकि वह नामान्तरण आराजी संख्या 1966 का था जो त्रुटि से आराजी संख्या 1959 का खेल दिया जो बाद मे निरस्त भी हो गया। नामान्ण संख्या 1934 को निरस्त कर नामान्तरण संख्या 2434 खोला गया। इस प्रकार यह प्रमाणित तथ्य है कि जमीन का रजिस्टर्ड विकय हुआ व नामन्तरण भी भरा गया। पत्रावली पर दस्तावेज होने से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नही थीं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विस्तृत एवं विधिक है जिसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

20. आदेश

अतः अपील अपलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2019 को यथावत रखा जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

21. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 18.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * भीलवाड़ा (राज.)

(पी0आर0मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/81/2023

उनवान

1. पोखर पुत्र केला रेगर निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय जरिए उनके वारिसान–
   1/1 जगदीश पुत्र स्व0 पोखर रेगर
   ~~1/2 हीरालाल पुत्र स्व0 पोखर रेगर~~
   1/3 तोली देवी पुत्री स्व0 पोखर रेगर,
   1/4 मु0 टम्मूदेवी पत्नी स्व0 पोखर रेगर, सर्वनिवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. कालू पुत्र खिन्दा रेगर, निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय उसके वारिसान–
   1/1 लादू लाल पुत्र कालू रेगर
   1/2 मदन लाल पुत्र कालू रेगर
   ~~1/3 धापू देवी पत्नी कालू रेगर~~
   1/4 शान्ता पुत्री कालू रेगर
   1/5 रेखा पुत्री कालू रेगर सर्व निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य, जरिए तहसीलदार, रायपुर, जिला भीलवाड़ा।

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
के प्रकरण संख्या 64/2014 निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.02.2019

अभिभाषक :
1. श्री एस0एन0 सोमानी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री फारूक मोहम्मद मंसूरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

अपील में डिकी
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/81/2023 मे उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्क्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 18.03.2026 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एस0एन0 सोमानी वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री फारूक मोहम्मद मंसूरी की उपस्थिति मे दिनांक 18.03.2026 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील अपलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.02.2019 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्रिकी जारी की जाती है।

(पी0आर0मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लियें स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील	3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस